अनुसूची–14 फॉरम सं0 562

19/विविध वाद

आदेश पत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 126)

आदेश–पत्रक–तां0 से तक

जिला– गढ़वा सं0– 18 / सन–2016–2017

केश का प्रकार– विविध वाद

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
17.6.16	आवेदक रेफाकत अंसारी पिता– मो0 कुतुबुदीन असारी, ग्राम– कोरवाडीह पो0– कल्याणपुर, थाना व जिला– गढवा द्वारा आवेदन दिया गया है कि मेरे भूमि में अवस्थित तीन महुआ का पेड दिनांक–21.05.2016 को आंधी तूफान में गिर गया है, उसे काटकर घर लाने की अनुमति देने की कृपा की जाय। आवेदक उक्त आवेदन पत्र को हल्का कर्मचारी को हस्तगत कराते हुए अंचल निरीक्षक के माध्यम से जांच प्रतिवेदन की मांग करें। [signature] 17/6/16 अंचल अधिकारी, गढ़वा	
24/6/16	अभिलेख उपस्थापित किया गया। हल्का कर्मचारी द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। प्रतिवेदनानुसार ग्राम– कोरवाड़ीह के खाता स0–79, प्लॉट सं0–1324 जिसमें तीन महुआ वृक्ष था इनमें दो वृक्ष दक्षिण तरफ था जो गिर गया है। इस पर आवेदक रेफाकत अंसारी का कब्जा उपस्थित लोगो ने बताया। उत्तर तरफ जो आहर के नजदीक एक महुआ वृक्ष गिरा है। इस पर आवेदक के साथ सरीफ अंसारी पिता– स्व0 हजरत अंसारी ग्राम– कोरवाड़ीह ने दावा किया है। राजस्व कागजात का अवलोकन किया। मांग पंजी सं0–~~168/~~ 168/I पर सुदन शेख का खाता–79, प्लॉट–1323, 1324, रकवा– 11.45 ए0 का मांग चलता है जो आवेदक रेफाकत अंसारी के दादा है। मांग पंजी–2 के पेज सं0–186/2 पर फेकु शेख वगै0 के नाम से खाता सं0–79, प्लॉट सं0–1323, 1324, रकवा– 6.10 ए0 का मांग चलता है। अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त महुआ पर बहुमत दोनो पक्षों द्वारा दावा किया जाता है। कागजात के जांच के बाद यह पता चल सकेगा कि महुआ का पेड किसका है। अतः सहायक दोनो पक्षों को नोटिश निर्गत करें। [signature] 24/6/16 अंचल अधिकारी,	

18.7.16	अभिलेख उपरथापित किया गया। दोनो पक्ष उपस्थित हुए परन्तु द्वितीय पक्ष द्वारा अपना कागजात नही दिखाये। अतः उन्हे पुनः एक मौका कागजात उपस्थापित करने हेतु मौका दिया जाता है। अंचल अधिकारी, गढ़वा
29.7.16	अभिलेख उपस्थापित किया गया। प्रथम पक्ष रेफाकत अंसारी ने अपना कागजात एवं जंगल विभाग से कटा हुआ नक्शा दिखायें। परन्तु द्वितीय पक्ष शरीफ अंसारी, पिता– स्व0 हजरत अंसारी उपस्थित नही हुए। अतः मूल अभिलेख आदेश पर रखा जाता है। अंचल अधिकारी, गढ़वा
26.8.16	अभिलेख उपस्थापित किया गया। प्रथम पक्ष रेफाकत अंसारी के द्वारा दिखाये गये कागजात के आधार पर द्वितीय पक्ष के दावा को खारिज करते हुए प्रथम पक्ष को गिरे हुए तीनो महुआ को काटने हेतु वन विभाग से अनुमति ~~दी~~ ली ~~जाती~~ सकती है। अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित अंचल अधिकारी, गढ़वा अंचल अधिकारी, गढ़वा